उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0 Ref. 2987/लोक सुनवाई/रा0 मा0-231/11-12 दिनांक Date 23-12-11

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–9)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पिकप भवन, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय : – **राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–231 रायबरेली से जौनपुर के जनपद–जौनपुर में पड़ने वाले भाग के पेव्ड सोल्डर्स सहित दो लेन निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में वर्णित प्राविधानो के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 30.11.2011 को मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबेरली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–231 रायबरेली से जौनपुर तक पेव्ड सोल्डर्स साहित दो लेन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई की विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 25.10.2011 एवं दिनांक 26.10.2011 को प्रकाशित करायी गयी थी तथा जनसामान्य से आक्षेप/सुझाव दिनांक 30.11.2011 तक आमन्त्रित किये गये थे। दैनिक समाचार पत्रों की कतरन की छायाप्रति संलग्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबेरली के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लोक सुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार, जौनपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2011 को सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के समय उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों/गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति दर्ज करायी गयी। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। लोक सुनवाई के कार्यक्रम की विडियोग्राफी की सीडी तथा मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर द्वारा अनुमोदितएवं जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित लोक सुनवाई की कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्नक के रूप में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

19/12/11

(एस.बी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

EE(T)

S.B.Singh. Doc:/Msw/vista..2011

मुख्यालय : पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831
फैक्स : 0522-2720764 • ई-मेल : info@uppcb.com • वेब साइट : www.uppcb.com
क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस काम्पलेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी-221010 • दूरभाष : 2275951 • फैक्स : 2275951

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–231 रायबरेली से जौनपुर में पड़ने वाले भाग के पेब्ड सोल्डर्स सहित दो लेन निर्माण के संदर्भ में दिनांक 30.11.2011 को मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–231 रायबरेली से जौनपुर तक पेव्ड सोल्डर्स सहित दो लेन निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रायबरेली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई की विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 25.10.2011 एवं दिनांक 26.10.2011 को प्रकाशित करायी गयी थी तथा जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव दिनांक 30.11.2011 तक आमन्त्रित किये गये थे। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव राज्य बोर्ड को प्राप्त नही हुए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार रायबरेली से जौनपुर तक पेब्ड सोल्डर्स के साथ दो लेन सड़क निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबरेली के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लोक सुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार जौनपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2011 को अपरान्ह् 2:00 बजे प्रारम्भ हुइ। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य का स्वागत करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के बारे में लोक सुनवाई के समय उपस्थित जन सामान्य को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा रायबरेली से जौनपुर तक प्रस्तावित दो लेन सड़क निर्माण सम्बन्धी परियोजना के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबरेली के उपस्थित प्रतिनिधियों से परियोजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपस्थित जन समुदाय को विस्तृत रूप से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबरेली की तरफ से पहले श्री सुधांशु कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स मॉट मैक डोनाल्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–231 के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गयी तदोपरान्त संस्था के समन्वयक श्री परितोष सिंह द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जैसे परियोजना का विवरण, परियोजना की पृष्ठभूमि, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना की आवश्यकता, प्रस्तावित मार्ग पर यातायात की पूर्वानुमानित मांग प्रस्तावित परियोजना का यातायात सर्वे, प्रस्तावित मार्ग में प्रस्तावित सुधार, भू–अर्जन एवं वृक्षों के कटान सतही जल गुणवत्ता भूमिगत जल गुणवत्ता, परिवेशीय वायु गुणवत्ता, अध्ययन क्षेत्र की मृदा गुणवत्ता, परिवेशीय ध्वनि के स्तर तथा इनकी मॉनीटरिंग के सम्बन्ध में विस्तार से जन सामान्य को अवगत कराया गया। श्री परितोष सिंह के उद्बोधन के पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा उपस्थित जन सामान्य को प्रस्तावित परियोजना के सारांश से अवगत कराया गया तथा लोक सुनवाई के समय उपस्थित जन सामान्य को आक्षेप/सुझाव हेतु आमन्त्रित किया गया।

1– श्री प्रमोद यादव, मंत्री, कलेक्ट्रेट, जौनपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि यदि ठेकेदार व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य/अनुपालन मौके पर नही कराता है तो उसकी शिकायत सीधे कहां पर की जाएगी? इस सम्बन्ध में प्रबन्धक, तक0 भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना प्रारम्भ होने

2

पर सम्बन्धित हेल्प लाईन नम्बर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किए जायेगें। जिस पर किसी भी समय सुझाव/शिकायत की जा सकती है, साथ ही भा0रा0रा0प्रा0 की वेबसाईट पर भी शिकायत की जा सकती है।

2– श्री बृज कुमार, निवासी–मुंगरा बादशाहपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि सड़क पार, तालाब में जानवरों के जाने हेतु क्या व्यवस्था की गई? इस सम्बन्ध में प्रबन्धक तक0 भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि परियोजना में कैटिल अण्डरपास का प्राविधान नहीं है परन्तु फिर भी आबादी के क्षेत्र में डिस्प्ले बोर्ड लगाकर गति सीमा नियंत्रित की जायेगी तद्नुसार स्थानीय निवासी वाहन देखकर सावधानी पूर्वक अपने पशुओं को सड़क पार करा सकेंगे।

3– श्री कृपा नारायण, निवासी–मच्छरहटा, सदर, जौनपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि राजमार्ग पर जो भी विद्युतीकरण का खंभा आदि हो वह पटरी के अन्त में हो ताकि वाहनो का आवागमन प्रचुर तरीके से हो सके साथ ही वृक्षारोपण दूरी पर एवं बार्डर पर हो ताकि अवैध कब्जा न हो सके।

4– श्री अजय बाजपेई निवासी–जौनपुर सिटी द्वारा जानकारी चाही गई कि मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी तथा आबादी क्षेत्र में कितनी रहेगी? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग के लेपित सतह की चौड़ाई 10 मीटर रखे जाने का प्राविधान है।

5– श्री महेन्द्र कुमार, निवासी पवारा द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग पर वाहनो की गति सीमा निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित मार्ग पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किमी0/घंटा निर्धारित की गई है।

6– श्री सईद अहमद निवासी पॅवारा–जौनपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि प्रस्तावित राजमार्ग पर जनपद–जौनपुर में कुल कितने पेड़ काटे जायेगें तथा इनकी जगह कुल कितने पेड़ लगाये जायेगें? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–जौनपुर में लगभग 4300 पेड़ काटे जाने है जिनके स्थान पर वन विभाग द्वारा लगभग दुगुने पेड़ लगाये जायेंगे।

7– श्री जाफर निवासी पवारा–जौनपुर द्वारा यह जानकारी चाही गई कि आबादी एरिया में पानी के निकास का क्या प्राविधान है, टोल टैक्स कम से कम कितनी दूरी तक लगेगा तथा रात्रि के समय यातायात के लिए रोड लाईट का प्राविधान रखा गया है अथवा नही? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि आबादी क्षेत्र में पक्की नाली का प्राविधान रखा गया है जैसा कि परियोजना के प्रस्तुतीकरण में पक्के नाले का क्रास सेक्शन दर्शाया गया था। टोल टैक्स के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि प्रस्तावित राजमार्ग पर किमी0 60.00 व 152.00 पर टोल प्लाजा का प्राविधान किया गया है। रात्रि के समय यातायात के लिए रिफलेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेगें तथा आबादी क्षेत्र में लाईट का प्राविधान रखा गया है।

8– श्री मो0 मुस्तफा निवासी ग्राम–हुशैनाबाद द्वारा जानकारी चाही गई कि प्राइमरी स्कूल सड़क के दूसरे किनारे पर होता है ऐसी स्थिति में छोटे बच्चो को सड़क पार करने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी साथ ही सड़क चौड़ीकरण में किसी का मकान व दुकान आता है तो ऐसे में क्या व्यवस्था है? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि राजमार्ग पर स्कूल के निकट

डिस्प्ले बोर्ड लगाकर गति सीमा नियंत्रित की जायेगी तथा स्ट्रिम्बल का भी प्राविधान किया जायेगा। इसी क्रम में भा0रा0रा0प्रा0 के प्रबन्धक तक0 में अवगत कराया कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में किसी मकान व दुकान आती है। तो उसे नियमानुसार उचित मुआवजा दिए जाने का प्राविधान है।

9– श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम–सीहीपुर जौनपुर द्वारा जानकारी चाही गई कि जो गॉव सड़क के किनारे बसे है तथा प्राइमरी स्कूल सड़क के दूसरे कोने पर स्थित है तो ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को सड़क पार कराने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि राजमार्ग पर स्कूल के निकट डिस्प्ले बोर्ड लगाकर गति सीमा नियंत्रित की जायेगी तथा स्ट्रिम्बल का भी प्राविधान किया जायेगा।

10– श्री रामलाल निवासी–पवारा जौनपुर द्वारा जानकारी चाही गई कि परियोजना सड़क के साथ–साथ लिंक रोड की भी मरम्मत की क्या व्यवस्था है तथा परियोजना में जो इलाके बाईपास में आए है उन इलाकों को क्या बिना मरम्मत के छोड़ दिया जायेगा? इस सम्बन्ध में प्रबन्धक, तक0 भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली द्वारा अवगत कराया गया कि रा0रा0 के किनारे स्थित लिंक रोड को सम्बन्धित विभाग, लोक निर्माण विभाग इत्यादि द्वारा मरम्मत की जायेगी। भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा मात्र रा0रा0 के मरम्मत का ही प्राविधान है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में बाईपासों का निर्माण कराया जायेगा। वहॉ पर पुराने मार्ग को पुरानी कार्यदायी संस्था अथवा सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को हस्तगत कर दिया जायेगा।

11– श्री नितेश कुमार विश्वकर्मा, निवासी–मछलीशहर द्वारा जानकारी चाही गयी कि बैलगाड़ी/तांगा इत्यादि चलने हेतु क्या अलग से कोई व्यवस्था की जायेगी? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि राजमार्ग के किनारे स्थित कच्ची पटरी एवं पेब्ड सोल्डर का प्रयोग बैलगाड़ी/तांगा हेतु किया जा सकता है।

12– श्री विनय कुमार निवासी मानिक चौक,जौनपुर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मार्ग के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए जाय तथा वृक्षारोपण के बाद उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये वृक्ष विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से सम्बन्धित क्षेत्र को कुछ हद तक मुक्त रखे उनके इस सुझाव का स्वागत किया गया।

13– श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, निवासी–जलालपुर, जौनपुर द्वारा जानकारी चाही गयी कि क्या सड़क के बीच में डिवाईडर बनाया जायेगा अथवा नहीं तथा क्या चौराहों पर लाल बत्ती लगाई जायेगी? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि प्रस्तावित राजमार्ग टू लेन विद पेब्ड सोल्डर्स के साथ निर्माण कराया जाना है जिसमें डिवाईडर का कोई प्राविधान नही है।

14– श्री हर्ष कुमार सिंह, निवासी–मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर द्वारा जानकारी चाही गई कि स्कूली बच्चों के सड़क पार करने एवं उस पार जाने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि राजमार्ग पर स्कूल के निकट डिस्प्ले बोर्ड लगाकर गति सीमा नियंत्रित की जायेगी तथा स्ट्रिम्बल का भी प्राविधान किया जायेगा।

15– श्री अनुराग मिश्र, निवासी–मछलीशहर, जौनपुर द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि क्या मार्ग के चौड़ीकरण के बाद भी मार्ग पर स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था होगी अथवा नही? इस सम्बन्ध में सलाहकार संस्था के समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि राजमार्ग पर नियमानुसार स्पीड ब्रेकर का प्राविधान

नहीं किया गया है परन्तु आवश्यकतानुसार पड़ने पर पर स्पीड ब्रेकर दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

16— श्री श्याम बिहारी, अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट यूनियन, जौनपुर द्वारा गुणवत्तापूर्वक कार्य कराये जाने का सुझाव दिया गया।

उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त लोक सुनवाई के समय उपस्थित किसी भी जन सामान्य द्वारा अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर द्वारा परियोजना के निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने पर बल दिया गया तथा साथ ही सुझाव दिया गया कि निर्माण अवधि के दौरान प्रक्रिया से उत्पन्न धूल इत्यादि को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक उपाय किये जाये एवं परियोजना के निर्माण के दौरान आम जनता को होने वाली कठिनाइयों का ध्यान में रखा जाय।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा उपस्थित जन सामान्य को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गई।

लोक सुनवाई की उपरोक्त कार्यवृत्त अनुमोदित।

14.12.2011

(विजय बहादुर सिंह)
मुख्य राजस्व अधिकारी
जौनपुर

लोक सुनवाई की कार्यवृत्त प्रतिहस्ताक्षरित।

18/12/11

(गौरव दयाल)
जिलाधिकारी
जौनपुर।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 231 (रायबरेली–जौनपुर) के निर्माण हेतु

पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लोक सुनवाई में उपस्थिति

दि0: 30.11.2011 स्थान : कलेक्ट्रेट सभागार, जौनपुर समय : अपरान्ह 2.00 बजे

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री विजय बहादुर सिंह	मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर	9454417140	[illegible]
2.	श्री एस०बी० सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-वाराणसी	9415955012	[illegible] 30/11/11
3.	श्री एच०पी० सिंह	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर	09839507118	[illegible] 30/11/11
4.	श्री के०के० त्रिपाठी	जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर	9415 895171	[illegible]
5.	श्री बी०पी० पाठक	प्रबंधक (तक०), भा०रा०रा०प्रा० प०का०इ०-रायबरेली		[illegible] 30/11/11
6.	श्री मोहम्मद खालिद	प्रबंधक (तक०), भा०रा०रा०प्रा० पू०का०इ०-रायबरेली	9412326465	[illegible]
7.		[illegible]		
8.	नितेश कुमार	[illegible] जौनपुर	7309384693	[illegible]
9.	मो० जाकिर	जौनपुर	7398706465	मो० जाकिर
10.	रामलाल	पवारा	7398866318	[illegible]
11.	मो० नुरतबा	कलेक्ट्रेट	9415349325	[illegible]
12.	ओम प्रकाश यादव	कलेक्ट्रेट	945058992[illegible]	[illegible]
13.	राजेन्द्र प्रसाद	कलेक्ट्रेट		[illegible]
14.	पी.पी. श्रीवास्तव	सहायक पर्यावरण अभियन्ता उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी	0542-2275957	[illegible]
15.	एस०बी० प्रीकोलन	सहा० वैज्ञा० अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी	0542-2275951	[illegible] 30/11/11
16.	B.K. SRIVHSTAV	U.P. Pollution Control Board Varanasi	"	[illegible] 30/11/11
17.	[illegible]			

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
18.	[illegible]	[illegible]	981396701 05	[signature]
19.	[illegible]	[illegible]	9415896535	[signature]
20.	शीतला प्रसाद श्रीवास्तव	कलेक्ट्रेट	8874693034	[signature]
21.	सदानन्द प्रजापति	"	9451151486	[signature]
22.	अरविन्द कुमार सिंह	"	9455320948	[signature]
23.	राम अजोर	कलेक्ट्रेट	—	[signature]
24.	सागर	कलेक्ट्रेट	9415896514	[signature]
25.	राजेन्द्र यादव	कलेक्ट्रेट	—	[signature]
26.	चन्द्र प्रकाश यादव	कलेक्ट्रेट	8423005856	[signature]
27.	सईद अहमद	"	7607785631	[signature]
28.	महेन्द्र कुमार	"	8052774117	[signature]
29.	अजय वाजपेयी	जौनपुर सिटी	8052604040	Ajay Bajpai
30.	कृपा नारायण	जौनपुर	9453761025	[signature]
31.	विनय कुमार.	- जौनपुर, मानिकचौक	9415891796	[signature]
32.	वेद प्रकाश	सिकरारा जौनपुर	9335498524	[signature]
33.	अनुराग मिश्र	मढ़लीशहर, जौनपुर	9451162220	[signature]
34.	हर्ष कुमार सिंह	मुगरा बादशाहपुर - जौनपुर		Harsha
35.	[illegible] कुमार	मुगराबादशाहपुर - जौनपुर		[illegible] कुमार
36.	[illegible]	उ० प्र० [illegible]		[signature]
37.	रमेन्द्र कुमार श्री	[illegible] जौनपुर	8808274088	[signature]

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
38.	अशीष सिंह	मुड़ियाहूँ - मड़ियाहूँ जौनपुर	9936892323	[signature]
39.	संतोष सिंह	" " "	9838931333	[signature]
40.	श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला	उमरपुर वीरभानपुर जौनपुर	9415092672	[signature]
41.	उमेश	वाराणसी		[signature]
42.	आनन्द कुमार सिंह	पट्टीराव पांचीरभानपुर जौनपुर	9565889926	आनन्द कुमार सिंह
43.	प्रेम बिहारी यादव	कुँवरपुर मछलीशहर जौनपुर	9415021742	[signature]
44.	राजेश कुमार तिवारी	जमालपुर जिला जौनपुर		राजेश कु० तिवारी
45.	Lakshmikant	Siadanpur Jaunpur		Lakshmikant
46.	पंकज मिश्र	फतेहगंज जौनपुर	9918179000	Pank
47.	वीरेन्द्र यादव	पकड़ी चौराहा जौनपुर	8400454534	वीरेन्द्र यादव
48.	Vijay Singh	Civil line Jaunpur	8874206383	[signature]
49.	धनंजय यादव	नेपाल-भवन, कुल्हनामऊ (सदर) जौनपुर कलाल-A टावर पी.डब्लू.डी. यू.पी.	9415287747 9839442200	Dhananjay Yadav
50.	Manoj Rathod	Civil line Jaunpur	9417384321	[signature]
51.	अशोक प्रताप सिंह	तहसील रोड मछलीशहर जौनपुर	9454417121	[signature]
52.	सुधांशु कुमार	नीयर मैकडोनाल्ड, नोएडा	9311008657	[signature]
53.	Pawan Tiwari	मुरारा बादशाहपुर	7800137749	[signature]
54.	Chandra Shekhar	जौनपुर	9389217553	[signature]
55.	Arvind Dubey	Sihipur, Jaunpur	8756791224	A Dubey
56.	Adarsh Srivastava	R.B.L	9454931121	[signature]
57.	सिद्धनाथ	उमरपुर [illegible]	9335360991	[signature]

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
58.	Vinod Gupta	mugra Badshapur	8687180817	[illegible]
59.	शिवकुमार	मड़वा मदई	800669914	शिवकुमार
60.				
61.	राजा कुमार	परमानतपुर	9918448397	बृजेश कुमार
62.	बृजेश कुमार	मल्लूपुर		[illegible]
63.	किशन कुमार	परमानपुर		[illegible]
64.	अनिल कुमार वर्मा	कम्प्यूटर आपरेटर, एन० एच० ए० आई० - रायबरेली	9450065738	Anil K. Verma
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				

प. 1293/2011-12/दि. 25.10.11

दैनिक जागरण 26/10/2011

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत 'लोक सुनवाई' हेतु आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा हाइवे रायबरेली से जौनपुर तक प्रस्तावित दो लेन विथ पेव्ड सोल्डर्स ऑफ एन.एच. 231 के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एस.ओ.-1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पूर्व **'लोक सुनवाई'** कराया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता के किसी भी आपत्ति/ सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। **'लोक सुनवाई'** पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना सं.-1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुरुप होती है। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध हैः-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर।
2. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर।
3. कार्यालय जिला पंचायत, जौनपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम-तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
5. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास काम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी।

अतः सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु **कलेक्ट्रेट सभागार, जौनपुर** में दिनांक **30 नवम्बर 2011** को अपरान्ह **2.00 बजे 'लोक सुनवाई'** की कार्यवाही निर्धारित की गयी हैं, जिसमें उपस्थित होकर अपना सुझाव व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है अथवा **सुझाव व आपत्तियां लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन** के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

प. 2406/लो.सु./11-12, दि. 24.6.11